

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 08/08/22

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 151.357 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख पैंतीस हजार सात सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृतादेश संख्या- 18/28.10.2021; (Online AA- 1220/ 02.11.2021); 23/13.07.2018; (Online AA- 881/ 13.07.2018) एवं 22/15.12.2021; (Online AA- 1570/ 17.12.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| (लाख रु. में) | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध | पूर्व में निर्गत आवंटन | वर्तमान आवंटन | वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 101-सतही जल/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य | 05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020010120000545 | 9500.00 | 3541.946 | 24.857 | 3566.803 |
| 2. | 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य | 05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079620000545 | 9500.00 | 4081.670 | 126.500 | 4208.170 |
| कुल :- | | | | | 7623.616 | 151.357 | 7774.973 |
| आवंटित राशि - रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख पैंतीस हजार सात सौ मात्र। | | | | | | | |

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2022-23 के बजट शीर्ष- 47020010120000545 के बजट उपबंध राशि रु. 9500.00 लाख (रूपये पंचानबे करोड़) तथा बजट शीर्ष- 47020079620000545 के बजट उपबंध राशि रु. 9500.00 लाख (रूपये पंचानबे करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681, दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता





(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन **Hard Copy** में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** (संबंधित **LOC No** सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 94

राँची, दिनांक :- 08/08/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/लातेहार/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 94

राँची, दिनांक :- 08/08/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुलग्नक-यथोक्त।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय

लघु शीर्ष-101-सतही जल,

उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्भोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपबंध (2022-23) - रूपये 9500.00 लाख (रूपये पंचानबे करोड़) मात्र

विपत्र कोड- 50S47020010120000545

(राशि लाख रूपये में)

| क्र० | कार्यालय का नाम | जिला | प्रखण्ड | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति | | एकराशि राशि | मार्च 2022 तक व्यय | वर्ष 2022-23 में | | | योजना पर कुल अंशदान आवंटन (10+13) | Online Allotment LOC/ Access No. | अभ्युक्ति | |
|--------|---|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | प्रसंग | राशि | | | Online प्रसंग | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | | | | कुल आवंटन |
| 1 | लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001) | गिरिडीह | विरनी | चरणो मॉडलिंग का जीर्णोद्धार | 18/2021-22 dt:28.10.2021 | 50,88400 | 1220 / 02.11.2021 | 33,209 | 0,000 | 0,000 | 24,857 | 24,857 | 24,857 | 1205 | 41915 |
| योग :- | | | | | | 50,88400 | | 33,209 | 0,000 | 0,000 | 24,857 | 24,857 | 24,857 | | |

आवंटित राशि - रूपये चौबीस लाख पचासी हजार सात सौ मात्र।

(हरिन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

परिशिष्ट -2

का अनुदानक

दिनांक 08/08/22

24

विभागीय पत्रांक

मुख्य शीर्ष-4702- लाघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय

लाघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-20-पुरानी लाघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण


संशोधित बजट उपबंध (2022-23) - रूपये 9500.00 लाख (रूपये पंचानवे करोड़) मात्र


विपत्र कोड- 50S47020079620000545

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. | कार्यालय का नाम | जिला | प्रखण्ड | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति | | एकराशित राशि | मार्च 2022 तक व्यय | वर्ष 2022-23 में | | | योजना पर कुल आवदन आवदन (10+13) | Online Allotment LOC/ Access No. | अभ्युक्ति | |
|--------|---|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------|---------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | प्रसंग | राशि | | | पूर्व का आवदन | वर्तमान आवदन | कुल आवदन | | | | |
| 1 | लाघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार (LTRMIR001) | लातेहार | चंद्रवा | हेसला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो | 23/2018-19 dt 13.07.2018 | 248.913 | 881/ 13.07.2018 | 248.174 | 150.301 | 0.000 | 95.000 | 95.000 | 245.301 | 1010 | |
| 2 | लाघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार (LTRMIR001) | लातेहार | बरवाडीह | पालापानी जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार | 22/2021-22 dt 15.12.2021 | 42.067 | 1570/ 17.12.2021 | 39.293 | 0.000 | 0.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 1011 | 41934 |
| योग :- | | | | | | 290.980 | | 287.467 | 150.301 | 0.000 | 126.500 | 126.500 | 276.801 | | |

आवृत्त राशि - रूपये एक करोड़ छब्बिस लाख पचास हजार मात्र।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (आभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव